

S R E S - N F I R

रेलवे कर्मचारी स्ट्राइक क्यों ?

2016 जून 09 को स्ट्राइक नोटिस और जुलाई 11 को स्ट्राइक

प्रिय कर्मचारियो,

पिछले वेतन आयोगों में बढ़त के रूप में हमने क्या पाया

सीपीसी प्रतिशत	वर्ष	बढ़त
चौथा सीपीसी	1986	27%
पाँचवाँ सीपीसी	1996	31%
छठा सीपीसी	2006	54%
सातवाँ सीपीसी	2016	14.28% (बहुत कम वृद्धि)

सातवाँ सीपीसी नंबर 63 के पारा 4.2 देखें।

◆ भत्ते- पिछले 70 वर्षों में हम 52 भत्ते प्राप्त करते थे-अब वेतन आयोग ने रद्दीकरण की सिफारिश की है।
◆ मकान किराया भत्ता - 40 सालों का एच आर ए प्राप्ति के इतिहास को अब वेतन आयोग 30,20 और 10 से क्रमशः 24,16 और 8 बनाकर कम कर दिया।
◆ वेतन वृद्धि: कई राइडर-वेतन वृद्धि पाने की कोई गारंटी नहीं।
◆ अंतरिम राहत: रेलवे कर्मचारियों ने पहले ही रुपये 5 हजार प्रति माह की अंतरिम राहत खो दिया है।
◆ डी ए मर्जर: हमने पहले ही 01.01.2011 प्रभावी से पचास प्रतिशत डी ए मर्जर खो दिया है और सारी परिणामक सुविधाएं खो दी।
◆ अग्रिम: सारी अग्रिम रद्द – केवल व्याज देनेवाले अग्रिम अनुमत है।
◆ चकित करनेवाला समाचार: ज्यादा वसूली कम वेतन। हम पिछले छठे वेतन आयोग की तुलना में कम वेतन प्राप्त करेंगे।
◆ वेतन नियतन फार्मूला: वेतन आयोग के इतिहास में बहुत बहुत कम मल्टिपुलाइंग फेक्टर को 2.57 से 3.7 बनाया जाएगा।
◆ यातायात भत्ता - 01.01.2016 को कोई वृद्धि नहीं। / नई पेंशन योजना को हटाएँ
◆ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम -बढिया अन्याय। अगर हमारी वसूली रकम जीवन बीमा निगम में जमा किया जाता है तो, जी आई एस से भी छः गुना मिलेगा।
◆ तकनीशियन ग्रेड II को ग्रेड I से मर्जर नहीं किया गया है।
◆ पर्यवेक्षकों को जी पी रुपये 4800/- और जी पी रुपये 5400/- मना किया गया है।

प्रिय रेलवे कर्मचारियो, एकता में सफलता है। एस आर ई एस जिन्दाबाद। एन एफ आई आर जिन्दाबाद।

डॉ. एम.राघवय्या महा सचिव / एन.एफ.आई.आर	परिपत्र 730 15.03.2016	पी.एस.सूर्यप्रकाशम महा सचिव / एस.आर.ई.एस
---	---------------------------	---